कानपुर नगर निगम

दिनांक 09.03.2019 दिन शनिवार को सम्पन्न हुई

मा0 कार्यकारिणी समिति की विशेष बैठक का कार्यवृत्त

समय पूर्वान्ह 11.00 बजे

स्थानः नगर निगम समिति कक्ष,मोतीझील,कानपुर

कार्यालय सचिव
नगर निगम,कानपुर

पत्र संख्या :–डी/283/सचिव (न0नि0)/2018–19 दिनांक :– 09-03-2019

सेवा में,

मा0 श्री/श्रीमती/सुश्री.........................

पार्षद वार्ड सं0........../पदेन सदस्य

महोदय/महोदया,

नगर निगम मा0 कार्यकारिणी समिति की दिनांक 09.03.2019 दिन शनिवार को पूर्वान्ह 11.00 बजे सम्पन्न हुई, बैठक का कार्यवृत्त आपकी सेवा में संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक :–

कार्यवृत्त पृष्ठ संख्या 01 से 11 तक।

सचिव
नगर निगम,कानपुर

प्रतिलिपि :–

1.नगर आयुक्त महोदय की सेवा में संज्ञानार्थ।
2.अपर नगर आयुक्त (प्रथम/द्वितीय) महोदय को सूचनार्थ।
3.समस्त विभागाध्यक्ष/विभागीय अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

09/03/19

सचिव
नगर निगम,कानपुर

दिनांक 09-03-2019 को नगर निगम मुख्यालय, मोतीझील स्थित समिति कक्ष में सम्पन्न हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति

1- श्रीमती प्रमिला पाण्डेय	महापौर / सभापति
2- श्री महेन्द्र पाण्डेय 'पप्पू'	सदस्य / उपसभापति
3- श्री मो0 अमीम	सदस्य / पार्षद
4- श्री जितेन्द्र	सदस्य / पार्षद
5- श्रीमती रीता पासवान	सदस्य / पार्षद
6- श्री लियाकत अली	सदस्य / पार्षद
7- श्री जय प्रकाश पाल	सदस्य / पार्षद
8- श्री अनूप कुमार शुक्ला	सदस्य / पार्षद
9- श्री अवनीश खन्ना	सदस्य / पार्षद
10-श्री अश्वनी कुमार चड्ढा	सदस्य / पार्षद
11-श्री दिनेश तिवारी	सदस्य / पार्षद
12-श्री हरि शंकर गुप्ता	सदस्य / पार्षद
13-श्री हाजी सुहेल अहमद	सदस्य / पार्षद

अधिकारीगण

1- श्री संतोष कुमार शर्मा	नगर आयुक्त
2- श्री अमृतलाल बिन्द	अपर नगर आयुक्त प्रथम'
3- श्री अरविन्द राय	अपर नगर आयुक्त 'द्वितीय'
4- श्री रमेशचन्द्र निरंजन	मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी
5- डॉ0 अरूण कुमार संखवार	नगर स्वास्थ्य अधिकारी
6- श्री मनीष कुमार सिंह	मुख्य अभियन्ता
7- श्री संजय सिन्हा	महाप्रबन्धक 'जलकल'
8- श्री ए0के0 त्रिवेदी	प्रभारी वित्त अधिकारी 'जलकल'

सर्वप्रथम सभापति ने बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु नगर आयुक्त को निर्देशित किया।

नगर आयुक्त ने सभापति की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये बैठक में आये हुये सभी सदस्यों का स्वागत किया। एजेण्डानुसार विशेष बैठक के बिन्दु एक मुश्त समाधान योजना (ओ0टी0एस0) पर विचार किये जाने हेतु जो निम्नवत् प्रस्ताव प्रस्तुत है, तत्सम्बन्ध में अवगत कराना है कि लखनऊ नगर निगम की भाँति प्रस्ताव को स्वीकृत करते हुये कानपुर नगर के नागरिकों के हित लाभ एवं नगर निगम के राजस्व हित के दृष्टिगत प्रश्नगत योजना प्रस्तुत की जा रही है। तद्नुसार स्वीकृत प्रदान कर सदन को अग्रसारित करने का कष्ट करें, जिससे

ह0..........महापौर

उत्तर प्रदेश शासन के अनुमोदनोपरान्त प्रस्ताव में निर्धारित समयावधि पर सभी प्रकार की सम्पत्तियों पर भवन स्वामियों के बकाया पर ब्याज की धनराशि पर शत् प्रतिशत छूट देते हुये मूलधन पर 10 प्रतिशत की छूट भी प्रदान की जायेगी।

सभापति ने कहा कि एक मुश्त समाधान योजना का लाभ प्रदान करने में किसी भी भवन स्वामी को न तो अनावश्यक परेशान किया जाये और न ही किसी भवन स्वामी को किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो।

श्री मो0 अमीम ने कहा कि पूर्व में भवन स्वामियों को भेजी गई त्रुटिपूर्ण नोटिसों पर आज तक न तो कोई सुनवाई की गई और न ही उनका सुधार किया गया, ऐसे में भवन स्वामियों द्वारा नगर निगम द्वारा प्रदान की जा रही एक मुश्त समाधान योजना का लाभ किस प्रकार प्राप्त किया जा सकेगा।

नगर आयुक्त ने मुख्य कर निर्धारण अधिकारी एवं समस्त जोनल अधिकारियों को निर्देशित किया कि क्षेत्रवार कैम्प लगाते हुये सभी भवन स्वामियों की शिकायतों का संज्ञान लेते हुये तद्नुसार उनका निस्तारण करते हुये एक मुश्त समाधान योजना के अन्तर्गत ज्यादा से ज्यादा लोगो को लाभ पहुँचाते हुये अधिक से अधिक वसूली की जाये ताकि माननीय सभापति महोदया के निर्देशानुसार विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्य कराये जा सके।

अपर नगर आयुक्त ने अवगत कराया कि स्वच्छता सर्वेक्षण–2019 में कानपुर नगर को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, इस पर सभी सदस्यों ने माननीय महापौर/सभापति एवं नगर आयुक्त को धन्यवाद् ज्ञापित किया।

प्रस्ताव संख्या–93

नगर आयुक्त कार्यालय के पत्र संख्या डी/119/सी.ए.टी.ओ./एम.सी. दिनाक 02.03.2019 को सूचनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रेषित

प्रस्ताव

कानपुर नगर निगम की मूलभूत सुविधाओं(जैसे रोड, नाली, मार्ग प्रकाश, सफाई इत्यादि) को नागरिकों को उपलब्ध कराने तथा क्षेत्रीय विकास अत्यन्त महत्वपूर्ण दायित्व नगर निगम, कानपुर का है। वर्तमान में भारत सरकार की स्वच्छ भारत मिशन एवं उत्तर प्रदेश सरकार की अन्य योजनाओं के अन्तर्गत नगर निगम कानपुर द्वारा नगर क्षेत्र को स्वच्छ रखने का अभियान सम्प्रति गतिमान है। शहर में सुनियोजित विकास कार्य तथा नागरिक सुविधाओं को उपलब्ध कराने तथा रखरखाव हेतु काफी अधिक धनराशि की आवश्यकता होती है। इन आधारभूत सुविधाओं का उत्कृष्ट बनाये रखने हेतु नगर निगम की आय का एकमात्र साधन गृहकर है।

ह0..........महापौर

गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में गृहकर की वसूली कुल **रू0 124.88 करोड** मात्र रहा है, जोकि काफी कम है। वर्तमान में व्यवसायिक एवं आवासीय भवनों के गृहकर निर्धारण के विवाद एवं उनके गृहकर के अवशेष एवं ब्याज में लगातार वृद्धि के कारण अनेक भवन स्वामी गृहकर जमा न करके विवाद करते है।इन मुख्य विषमताओं को समाप्त करने एवं बकाये की धनराशि को त्वरित वसूली एवं सीमित अवधि हेतु एक मुश्त सामधान योजना(ओ0टी0एस0) लागू करना प्रस्तावित है।

नगर निगम कानपुर के एक मुश्त सामधान योजना(ओ0टी0एस0) के अन्तर्गत निम्नानुसार कार्यवाही होनी है :–

क्र0सं0	भवन के प्रकार	एक मुश्त सामधान योजना(ओ0टी0एस0) मे प्रदान की जाने वाली छूट	
		ब्याज	अवशेष (01.04.2018 के अवशेष मॉग पर)
1	आवासीय भवन	ब्याज की धनराशि पर पूर्णयता छूट	वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 में दिनांक 31.04.2019 तक 20 प्रतिशत तथा तदोपरापन्त आंतरिमरूप से दिनांक 31.05.2019 तक अथवा शासन द्वारा स्वीकृति तिथि से 03 माह तक अवशेष मॉग पर 10 प्रतिशत छूट प्रभावी होगी।
2	व्यवसायिक भावन	यथावत्	यथावत्
3	वतानुकुलित रहित 200 वर्गफुट की दुकान	यथावत्	यथावत्
4	छात्रावास और शैक्षणिक संस्थाओं की धारा–177 के खण्ड (ग) के अधीन आच्छादित नही है।	यथावत्	यथावत्
5	औद्योगिक ईकाईओं व सार्वजनिक उपक्रम	यथावत्	यथावत्
6	सरकारी और अर्द्वसरकारी कार्यालय	यथावत्	भवन जिनके करों का भुगतान उ0प्र0 शासन द्वारा आवंटित बजट से किया जाता है। यह योजना लागू होने की तिथि से 06 माह के भीतर भुगतान कर सकेगें।

एक मुश्त सामधान योजना(ओ0टी0एस0) इन शर्तो के अधीन होगाः–

1. सम्पूर्ण बकाया धनराशि का भुगतान नियत अवधि के भीतर एकमुश्त करना होगा।
2. यह योजना तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगी। पूर्व में किये गये भुगतान पर कोई समायोजन नही होगा। आंशिक भुगतान की स्थिति में अवशेष धनराशि पर ही यह योजना प्रभावी होगी।
3. इस योजना के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से सम्बद्ध छात्रावास ही आच्छादित होगें।
4. निजी छात्रावास पर यह योजना लागू नही होगी।
5. आई0टी0आई0, पॉलीटेक्निक, नर्सिग कालेज आदि तकनीकी शैक्षणिक संस्थान कर योग्य है और कर योग्य होने के कारण इस योजना से आच्छादित है।
6. इस योजना के अन्तर्गत किसी अन्य प्रकार की छूट देय नही होगी।

एक मुश्त सामधान योजना(ओ0टी0एस0) के अन्तर्गत भवनों के उपरोक्त वर्गीकरण के नगर निगम, कानपुर का विवरण निम्नवत् है :–

(धनराशि– करोड में)

ह0.........महापौर

क.सं.	भवन का प्रकार	संख्या	अवशेष	ब्याज	योग
1	सभी प्रकार के आवासीय	365534	39.77	21.11	60.88
2	सभी प्रकार के अनावासीय(छात्रावास और शैक्षणिक संस्थान जो अधिनियम–177 के खण्ड(ग) के अधीन आच्छादित नही, औद्योगिक ईकाईयॉ, सरकारी, अर्द्धसरकारी व सार्वजनिक उपकम आदि सम्मिलित है)	38817	73.87	39.20	113.07
योग		404351	113.64	60.31	173.95

उपरोक्त एक मुश्त सामधान योजना(ओ0टी0एस0) लागू होने से जनहित में जहॉ विवादों का निस्तारण होगा वही नगर निगम कानपुर की आय में भारी वृद्धि होगी। अतएव यह योजना जनहित के साथ–साथ नगर निगम के हित में होगी। नगर निगम वित्तीय हित में इसयोजना को तत्काल प्रभाव से शासन की स्वीकति की प्रत्याशा में इस शर्त के साथ लागू किया जाता है कि जबतक शासन द्वारा इस प्रस्ताव की स्वीकृति प्राप्त नही होती है, तबतक जमा की गई धनराशि को आंतरिम भुगतान माना जायेगा।

.... 31 मार्च, 2019 एवं वित्तीय वर्ष 2019–20 के माह अप्रैल, 2019 तक सभी सम्पत्तियों के बकाया के ब्याज पर शत्–प्रतिशत छूट प्रदान करते हुये मूलधन पर 20 प्रतिशत की छूट तथा 01 मई से 31 मई 2019 तक बकाया के ब्याज पर शत्–प्रतिशत छूट देते हुये मूलधन पर 10 प्रतिशत छूट दिये जाने की स्वीकृत प्रदान करते हुये एक मुश्त सामधान योजना(ओ0टी0एस0) का प्रस्ताव मा0 सदन को अग्रसारित किया गया।

तत्सापेक्ष जलकल विभाग नगर निगम के बकाया सीवर एवं जलकर तथा उसके ब्याज के सम्बन्ध में एक मुश्त सामाधान योजना (ओ0टी0एस0) पर विचार किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत है, तद्नुसार विचार करने का कष्ट करें –

टेबुल प्रस्ताव संख्या–94

कानपुर नगर की मूलभूत सुविधाओं (जैसे जलापूर्ति व सीवर व्यवस्था अनुरक्षण) को नागरिकों को उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण दायित्व जलकल विभाग नगर निगम, कानपुर का है। वर्तमान में भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं तथा अन्य नागरिक सुविधाओं को उपलब्ध कराने व रख–रखाव हेतु काफी अधिक धनराशि की आवश्यकता होती है। इन आधारभूत सुविधाओं को उत्कृष्ट बनाये रखने हेतु जलकल विभाग नगर निगम, कानपुर के पास वित्तीय स्त्रोत के रूप में एक मात्र साधन जलकर व सीवर कर ही है।

गत वित्तीय वर्ष में जलकर व सीवर कर राजस्व वसूली रू0– 96.57 करोड़ मात्र रही है। यह राजस्व वसूली जल शोधन प्रकिया व विद्युत आदि के सापेक्ष अत्यन्त कम है।वर्तमान में व्यवसायिक व आवासीय भवनों के गृहकर निर्धारण के विवाद एवं उसके कारण जलकर व सीवरकर के अवशेष एवं सरचार्ज में वृद्धि के कारण

ह0.........महापौर

अनेक भवन स्वामी जलकर व सीवर कर जमा करने में विवाद करते हैं। इन मुख्य विषमताओं को समाप्त करने एवं बकाये की धनराशि की त्वरित वसूली हेतु सीमित अवधि हेतु एकमुश्त समाधान योजना लागू करना प्रस्तावित है।

जलकल विभाग नगर निगम, कानपुर द्वारा जलकर व सीवरकर में "एकमुश्त समाधान योजना (ओ0टी0एस0)" लाये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव जिसमें सरचार्ज में छूट दिये जाने हेतु प्रस्तावित है–

क्र0 सं0	भवन का प्रकार	एकमुश्त समाधान योजना (ओ0टी0एस0) के अन्तर्गत प्रावधानिक जलकर एवं सीवरकर पर छूट दिनांक 31.03.2019 तक	अभ्युक्ति
1	समस्त आवासीय भवन	सरचार्ज	
2	व्यवसायिक प्रतिष्ठान	सरचार्ज	
3	छात्रावास एवं शैक्षणिक संस्थान	सरचार्ज	
4	औद्योगिक इकाइयां व सार्वजनिक उपक्रम	सरचार्ज	
5	सरकारी व अर्द्ध सरकारी कार्यालय	सरचार्ज	भवन जिनके करों का भुगतान उ0प्र0 शासन द्वारा आवंटित बजट से किया जाता है। यह योजना लागू होने की तिथि से 06 माह के अन्दर भुगतान कर सकेंगे।

ह0.........महापौर

एकमुश्त समाधान योजना (ओ0टी0एस0) इन शर्तो के अधीन होगा–

1. सम्पूर्ण बकाया धनराशि का भुगतान नियत अवधि के अन्दर एकमुश्त करना होगा।
2. यह योजना तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगी। पूर्व में किये गये भुगतान पर कोई समायोजन नहीं होगा। आंशिक भुगतान की स्थिति में अवशेष धनराशि पर ही यह योजना प्रभावी होगी।
3. इस योजना के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से सम्बद्ध छात्रावास ही आच्छादित होंगे।
4. निजी छात्रावास पर यह योजना लागू नहीं होगी।
5. आई0टी0आई0, पॉलीटेक्निक, नर्सिग कालेज आदि तकनीकि शैक्षणिक संस्थान कर योग्य हैं और कर योग्य होने के कारण इस योजना से आच्छादित हैं।
6. इस योजना के अन्तर्गत किसी अन्य प्रकार की छूट देय नहीं होगी।

एकमुश्त समाधान योजना (ओर0टी0एस0) के अन्तर्गत भवनों के उपरोक्त वर्गीकरण के अनुसार जलकल विभाग नगर निगम, कानपुर का विवरण निम्नवत है–

(धनराशि करोड़ में)

क0सं0	भवन का प्रकार	संख्या	अवशेष	ब्याज	योग
1	आवासीय भवन	245270	121.49	07.90	129.39
2	कालोनी लेबर / के0डी0ए0	24436	45.00	02.92	47.92
3	सरकारी / अर्द्ध सरकारी कार्यालय		44.83	02.91	47.74
	योग–	**269706**	**211.32**	**13.73**	**225.05**

उपरोक्त एकमुश्त समाधान योजना (ओर0टी0एस0) लागू होने से जनहित में जारी विवादों का निस्तारण होगा, वहीं जलकल विभाग नगर निगम, कानपुर की आय में भारी वृद्धि होगी। अत्एव यह योजना जनहित के साथ–साथ जलकल विभाग नगर निगम, कानपुर के हित में भी होगी। जलकल विभाग नगर निगम, कानपुर के वित्तीय

ह0..........महापौर

हित में इस योजना का तत्काल प्रभाव से शासन की स्वीकृति की प्रत्याशा में इस शर्त के साथ लागू किया जाता है कि जब तक शासन द्वारा इस प्रस्ताव की स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है, तब तक जमा की गयी धनराशि को अन्तरिम भुगतान माना जायेगा।

उपरोक्तानुसार जलकल विभाग नगर निगम, कानपुर में बकाया जलकर व सीवरकर की धनराशि की वसूली हेतु एकमुश्त समाधान योजना (ओर0टी0एस0) लागू करने हेतु उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 221(2) के अन्तर्गत विशेष संकल्प पारित करने हेतु प्रस्ताव माननीय कार्यकारिणी सदस्य एवं माननीय सदन के समक्ष सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

.... **उपरोक्त संकल्प के साथ प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया ।**

टेबुल प्रस्ताव संख्या–95

नगर आयुक्त कार्यालय के पत्र संख्या डी/120/सी.ए.टी.ओ./एम.सी.दिंनाक 02.003.2019 को अधिनियम की धारा–148 एवं 221 के अन्तर्गत सूचनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रेषित

प्रस्ताव

नगर निगम सीमान्तर्गत भवन एवं सम्पत्तियों पर आरोपित एवं देय सामान्य कर (गृहकर) संग्रहण के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है :–

1. विगत वर्षो की भॉति रू0 1,200.00 वार्षिक मूल्य तक की सम्पत्तियों पर गृहकर की दरें वार्षिक मूल्य का 10 प्रतिशत एवं रू0 1,201.00 एवं इससे अधिक वार्षिक मूल्य तक की सम्पत्तियों पर गृहकर की दरें वार्षिक मूल्य का 15 प्रतिशत होगा।
2. नगर निगम सीमान्तर्गत स्थित सम्पत्तियों के ऐसे भवन/अध्यासी जिनके द्वारा प्रति वर्ष नियमित रूप से नगर निगम का गृहकर भुगतान किया जाता है, के व्यापक हित को दृष्टिगत रखते हुये तथा नगर निगम के वसूली अभियान में गति लाने तथा ईमानदार करदाताओं को प्रोत्साहित करने हेतु ऐसे करदाता जिन पर सामान्य कर (गृहकर) के मद में दिनांक 31.03.2019 तक कोई अवशेष न हो उनको वित्तीय वर्ष 2019–20 में **01 अप्रैल 2019 से 30, जून 2019 तक** चालू मॉग(यदि अवशेष है, तो मय बकाया, ब्याज व चालू मॉग सहित एकमुश्त पूर्ण भुगतान करने पर) पर विगत वर्षो की भॉति **10 प्रतिशत** की छूट दिये जाने एवं तद्पोरान्त विशेष परिस्थिति में नगर आयुक्त को एक–एक माह हेतु (जिसकी अन्तिम सीमा माह नवम्बर 2019 होगी) बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु अधिकृत किया जाना।

ह0..........महापौर

3. भारत सरकार द्वारा भुगतान प्रक्रिया में डिजिटाईजेशन की प्रमुखता दी जा रही है, इसमें त्वरित भुगतान के साथ–साथ समय की बचत होती है। अतः भवन स्वामियो द्वारा अपने गृहकर का भुगतान(ई–पेमेन्ट) डिजिटल करने पर 00.50 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट प्रदान की जायेगी।

.... उपरोक्तानुसार स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।

टेबुल प्रस्ताव संख्या–96

संदर्भ :– अनुसचिव उत्तर प्रदेष शासन के पत्रांक 2385/वी0आई0पी0/23 पूर्व–2018–93 सा0/2018 दिनांक 22.11.2018

कृपया अनुसचिव, उ0प्र0 शासन के पत्रांक 2385/वी0आई0पी0/23 पूर्व–2018–93 सा0/2018 दिनांक 22.11.2018 द्वारा श्री सतीश महाना, मा0 औधोगिक एवं विकास मंत्री, उ0प्र0 के विधानसभा के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा मार्गो के निर्माण कार्य हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये है। उपरोक्त प्रस्तावित समस्त सड़कें सोसाइटी क्षेत्र की हैं एवं इन सड़को के निर्माण से उपरोक्त क्षेत्रो में विकास सुनिष्चित हो सकेगा। लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य कराये जाने के पश्चात सड़कों के स्वामित्व की अपेक्षा की है ताकि भविष्य में भी उक्त सड़को का रखरखाव सुनिष्चित किया जा सके। सोसाइटी क्षेत्र की उक्त सड़कों का निर्माण एवं रखरखाव लोक निर्माण विभाग द्वारा करने से एक ओर सोसाइटी क्षेत्रों का विकास होगा साथ ही साथ नगर निगम पर अतिरिक्त व्ययभार भी नहीं आयेगा।

अतः उक्त सड़को के निर्माण एवं निर्माण के पश्चात रखरखाव हेतु स्वामित्व लोक निर्माण विभाग को दिये जाने के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत है, सड़को का विवरण निम्नवत है :–

क0 सं0	कार्य का नाम
1	सनिगंवा मार्ग से विमानपुरी मे गब्बर होटल भारती शांती स्कूल एवं कन्हैया गेस्ट हाउस तक आर0 के0 कोचिंग इन्द्रधनुष स्कूल होते कांषीराम मेन रोड तक एवं मुख्य मार्ग से हनुमान गढ़ी मंदिर तक मार्ग पर सी0सी0 निर्माण कार्य।
2	सनिगंवा मार्ग से संदीप नगर मे कानपुर ट्रामा सेंटर से ग्राड व्यू एकेडमी स्कूल से राषन की दुकान एवं कैम्ब्रिज माडल स्कूल से हा सिटी पार करते हुये हरीकांत त्रिवेदी के घर तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य।
3	वार्ड 82 मे जरौली मुख्य मार्ग गुरू कृपा इण्टरप्राइजेज से कांषीराम आवास तक मार्ग का निर्माण कार्य।
4	वार्ड 46 मे रामनाथ गिरी के मकान से प्रियदर्षनी स्कूल एवं एस0 के0 गुप्ता, रामभुवन सैनी, सीमा सिंह व राजेष यादव के मकान मोती साहू के मकान से राधे कृष्ण मंदिर होते हुये दुर्गा मंदिर तक मार्ग निर्माण का कार्य।
5	वार्ड 82 मे कर्रही सब्जी मंडी मुख्य मार्ग से प्रकाष पब्लिक स्कूल होते हुये देवी प्रसाद गुप्ता के मकान तक मार्ग का निर्माण कार्य।
6	वार्ड 82 मे जरौली नाला रोड मुख्य मार्ग से कर्रही मुख्य शौचालय तक मार्ग निर्माण का कार्य।

ह0.........महापौर

7	वार्ड 87 मे अर्रा मुख्य मार्ग से संतोष सिंह, रामसजीवन सिंह, हाकिम सिंह के मकान होते हुये अर्रा मार्ग तक मार्ग का निर्माण कार्य।
8	वार्ड 87 मे बख्तौरीपुरवा मे एल0आई0जी0 कालोनी से पारितोष डिग्री कालेज एवं गुरू कृपा स्कूल होते हुये पानी की टंकी मुख्य म तक मार्ग निर्माण कार्य।
9	वार्ड 31 मे जी0टी0 संजीव नगर से नाले से साहू जी के मकान होते हुये मवैया मुख्य मार्ग तक मार्ग का निर्माण कार्य।
10	वार्ड 31 मे जी0टी0 मार्ग कृष्णा ट्रेडर्स से मुख्य रेल मार्ग एवं ट्रासफार्मर से हिमांशू त्रिपाठी के मकान तक मार्ग का निर्माण कार्य।
11	वार्ड 82 मे कर्रही मुख्य मार्ग मार्वल मार्केट से षिव शकर साहू के मकान होते हुये राम दयाल के मकान तक मार्ग निर्माण कार्य। (स्व वाली गली)
12	जोन–3 वार्ड 21 के अन्तर्गत योगेन्द्र विहार कर्रही मुख्य मार्ग से नीरज के मकान तक व योगेन्द्र विहार 164 गुजंन शुक्ला राज बहा कुषवाहा रकवा नं0 264 तक मार्ग निर्माण का कार्य
13	वार्ड 31 मे बीनू यादव की दुकान से आर्यन स्कूल होते हुये रविकान्त आई0टी0आई0 मुख्य मार्ग तक मार्ग निर्माण का कार्य।
14	वार्ड 87 मे अश्वनी ट्रेडिंग कम्पनी से पारितोष इ0का0 एवं बृज किषोर गुप्ता के मकान होते हुये सरकारी राषन की दुकान तक मार्ग निर्माण कार्य।
15	वार्ड 41 मे उत्तम हास्पिटल से पाल के मकान होते हुये बम्बा तक मार्ग का निर्माण कार्य।
16	वार्ड 87 मे हमीरपुर रोड से पहाड़पुर चुंगी से गुड्डू सिंह के मकान होते हुये इन्दिरा पेट्रोल पम्प हमीरपुर मार्ग का निर्माण कार्य।
17	वार्ड 21 मे सुतन परिहार के मकान से शिवकिशन शिव स्वरूप तिवारी के मकान होते हुये बख्तौरीपुरवा मुख्य मार्ग तक मार्ग का निम कार्य।
18	वार्ड 82 मे जरौली विहारी पुरवा से पानी की टंकी होते हुये जरौली मनीराम के घर तक एवं सुलभ शौचालय से धनीराम के घर त मार्ग का निर्माण कार्य।

नगर आयुक्त ने सदस्यों को अवगत कराया कि शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के तहत प्राइवेट सोसाइटी क्षेत्र एवं अवैध कालोनियों के क्षेत्र में नगर निगम कोई भी विकास कार्य नही करा सकता है, इसी परिप्रेक्ष्य में सड़कों का निर्माण एवं उनका रख–रखाव लोक निर्माण विभाग करना चाहता है, तो नगर निगम को कोई आपत्ति नही है। शहर के विकास के दृष्टिगत आप सभी सदस्यों से अनुरोध है कि प्रस्ताव को स्वीकृत प्रदान करने का कष्ट करें।

.... प्राइवेट सोसाइटी क्षेत्र एवं अवैध कालोनियों के क्षेत्र वाली उपरोक्त 18 सड़कों/मार्गो का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा कराये जाने पर नगर निगम को कोई आपत्ति नही है तद्नुसार स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।

टेबुल प्रस्ताव संख्या–97

मा0 श्री अरूण पाठक, सदस्य, विधान परिषद, उ0प्र0 द्वारा प्रेषित पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगरीय विकास योजना के अन्तर्गत विकास कार्य के संबंध में।

ह0..........महापौर

मा0 श्री अरूण पाठक, सदस्य, विधान परिषद, उ0प्र0 द्वारा प्रेषित पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगरीय विकास योजना के अन्तर्गत शहर के विभिन्न क्षेत्रो में विकास कार्यों हेतु रू0 180.00 लाख के कार्यों की सैद्धान्तिक सहमति उत्तर प्रदेष शासन द्वारा प्रदान कर दी गयी है।

मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष उक्त प्रस्ताव में उल्लिखित धनराशि रू0 180.00 लाख पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगरीय विकास योजना के अन्तर्गत ब्याजमुक्त ऋण के रूप में प्राप्त करने हेतु मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृतार्थ/निर्णायार्थ प्रस्तुत है।

नगर आयुक्त ने अवगत कराया कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान कर दी गई है, जिसकी स्वीकृति माननीय कार्यकारिणी समिति/सदन से अपेक्षित है। अतः इस ब्याज रहित ऋण के सम्बन्ध में स्वीकृत प्रदान करने का कष्ट करें, जिससे कानपुर महानगर के विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्य कराये जा सके।

..............................**नगर निगम राजस्व हित में किसी भी प्रकार का** ऋण चाहे ब्याज युक्त हो या ब्याज मुक्त हो ऋण लिया जाना समीचीन नही होगा,तदानुसार नगर आयुक्त द्वारा कार्यवाही कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

टेबुल प्रस्ताव संख्या–98

श्री ज्ञानेन्द्र सिंह चौहान निवासी 3ए/32ए आजाद नगर, कानपुर द्वारा नगर आयुक्त को हस्तगत प्रस्ताव पर विचार किया जाना –

विषय :– आजाद नगर, कानपुर में स्व0 आनन्द भार्गव के नाम से मार्ग के नामकरण के सम्बन्ध में।

स्व0 आनन्द भार्गव का जन्म 02 मई, 1958 को 2ए/156 आजाद नगर, विजय स्मृति के बगल में आजाद नगर, कानपुर नगर में हुआ। स्व0 भार्गव संगीत मर्मज्ञ तथा भारत विकास परिषद दयानन्द शाखा में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सेवा प्रदान करते रहे तथा हिन्दू अनाथालय लाटूश रोड में सहायता प्रदान करते रहे। इसके साथ ही भारत सेवक समाज के सदस्य, इण्डियन प्रेस एसोसियेशन के सदस्य एवं अन्य सामाजिक संस्थाओं के कार्यो में अग्रणी रहे। इन्हें 07 दिसम्बर, 2015 को तत्कालीन माननीय राज्यपाल श्री रामनाथ कोविंद, जो वर्तमान में भारत के माननीय राष्ट्रपति है ने समाजसेवा में इनके सक्रिय योगदान के लिये मर्चेण्ट चेम्बर हॉल में सम्मानित किया।

अतः इनकी सामाजिक सेवाओं के दृष्टिगत इनके निवास के मार्ग का नामकरण **"स्व0 आनन्द भार्गव"** मार्ग किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

.... **2ए/156 आजाद नगर, विजय स्मृति के बगल में आजाद नगर वाले मार्ग का नामकरण "स्व0 आनन्द भार्गव" मार्ग किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।**

अन्त में सभापति ने आज दिनांक 09.03.2019 को सम्पन्न हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि हेतु अपना–अपना अभिमत व्यक्त करने हेतु कहा।

.... **सभी सदस्यों द्वारा आज दिनांक 09.03.2019 को सम्पन्न हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गई।**

इसी के साथ बैठक का समापन हुआ।

ह0.........

(प्रमिला पाण्डेय)
माहपौर / सभापति